

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

सूचना

1. माह मार्च-2026 की बैठक हेतु आवेदन ऑनलाईन समर्पित कर कार्यालय में जमा करने की तिथि- 07.03.2026 से 09.03.2026 (संध्या 04:30 बजे तक)।
आवेदन परिवहन विभाग के बेवसाईट सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाईन स्वीकृत किया जायेगा। विभाग द्वारा अधिसूचित मार्ग पर ही आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। समय - सारणी 24 घंटा (रेलवे की समय सारणी के अनुरूप) के प्रारूप में होनी चाहिए। आवेदन के साथ ऑनलाईन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी समय-सारणी की एक प्रति भी समर्पित करना अनिवार्य है।
(स्थायी, प्रतिहस्ताक्षर, नवीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन)
2. समय सारणी का प्रकाशन -10.03.2026
3. आपत्ति देने की तिथि -11.03.2026 (पू011:00 बजे से अप0 04:30 बजे तक)
4. प्राधिकार की बैठक की तिथि -17.03.2026 (मंगलवार) अप0 03:30 बजे से।
नोट :- (1) प्राधिकार में समर्पित किये जाने वाले आवेदन पत्र विभागीय पत्रांक-5518, दिनांक-02.09.2021 में दिये गये निदेश के आलोक में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित होना एवं आवेदन पत्र का सभी कॉलम भरा हुआ रहना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दिया जाएगा, उसे विहित प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ समर्पित करना होगा। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में सभी वांछित कागजातों को जमा करना होगा। आवेदन के साथ अद्यतन तीन वित्तीय वर्षों का आयकर एवं पेशाकर के भुगतान से संबंधित साक्ष्य एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित करेंगे, अन्यथा आपके आवेदन पत्र पर बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।
5. Online समर्पित आवेदन की एक प्रति व विहित प्रपत्र में (लंकित अथवा सुस्पष्ट अक्षरों में) समय सारणी एवं सभी वांछित अद्यतन कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। सभी वाहन स्वामी आवेदन/आपत्ति निर्धारित समयावधि में पंक्तिबद्ध होकर एवं शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
6. आपत्ति के साथ धारित परमिट (समय सारणी सहित) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्ति से संबंधित साक्ष्य बैठक में ही उपलब्ध कराना आपत्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक आपत्ति हेतु आपत्ति शुल्क रू0 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र जमा करनी होगी।
7. वाहन से संबंधित सभी मान्य कागजात अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदन/आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि को निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जाएँगे।
9. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क दोनों एक ही साथ चालान के रूप में जमा करना होगा। आवेदक अपना ई-मेल एवं मोबाईल नं0 आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
10. आवेदन पत्र में वर्णित मार्ग सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग के अनुरूप होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अधिसूचित मार्ग की सं0 दर्शाना होगा। साथ ही इसकी छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
11. बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन के पश्चात् सभी स्वीकृत मामलों के वाहन स्वामी सभी वांछित कागजात 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर जमा कर परमिट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् जैसे सभी स्वीकृत आवेदन एवं ऑनलाईन किये गये परमिट जिनका उठाव नहीं किया गया है स्वतः अस्वीकृत कर ऑनलाईन से हटा दिया जायेगा।
12. सभी आवेदनकर्ता/आपत्तिकर्ता/विद्वान अधिवक्ता बैठक के एक घंटा पूर्व कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
13. 15 (पंद्रह) वर्ष से अधिक आयु के वाहन का परमिट आवेदन/आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. ऑफलाईन परमिट के आधार पर किये गये आवेदन/आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. मुख्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में कम से कम 05 (पाँच) मिनट एवं मध्य बिन्दु पर 02 (दो) मिनट का समय अंतराल मान्य होगा। आगमन समय पर आपत्ति मान्य नहीं होगा।
16. पीछे प्रस्थान करने वाले वाहन पर आपत्ति विचारणीय नहीं होगा।

17. मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर धारा-91 का पालन करते हुए 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं होगा।
18. किसी भी बिन्दु पर प्रस्थान समय से टकराव की स्थिति में अथवा गति सीमा उल्लंघन की स्थिति में वाहन स्वामी को अगली बैटक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करना होगा। अगली बैटक में संशोधित समय-सारणी समर्पित नहीं करने अथवा पुनः उन बिन्दुओं पर किसी अन्य वाहन के प्रस्थान समय से टकराव होने अथवा गतिसीमा उल्लंघन होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। आवेदनकर्ता चाहें तो समय-सारणी टकराव की स्थिति में बैटक के क्रम में अथवा बैटक से पूर्व शपथ पत्र के साथ संशोधित समय-सारणी समर्पित कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह माना जायेगा कि आवेदनकर्ता द्वारा समय-सारणी में संशोधन हेतु प्राधिकार से मिलने वाला एक मौका का उपयोग किया जा चुका है और कार्यवाही प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर यदि किसी वाहन स्वामी का संशोधित समय-सारणी पर टकराव/गति सीमा उल्लंघन के संबंध में आपत्ति प्राप्त होती है और आपत्ति सही पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में संशोधित समय-सारणी पर परमिट निर्गत किया जायेगा। इसके लिए किसी आदेश/सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। इस आधार पर परमिट निर्गत करने/आवेदन रद्द करने हेतु संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर सक्षम प्राधिकार होंगे।
19. आवेदित वाहन/आपत्ति करने वाले वाहन के सभी मान्य कागजात यथा कर, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदित वाहन/आपत्ति करने वाले वाहन के स्वामी के नाम से निबंधित किसी भी वाहन का कर बकाया नहीं होना चाहिए।
20. MPPY के मार्ग पर परिचालन हेतु आवेदित वाहन के समय-सारणी पर सामान्य मार्ग पर परिचालित वाहन के परमिट/आवेदित वाहन के समय-सारणी से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। गतिसीमा उल्लंघन करने पर उपरोक्त कंडिका 17 लागू होगा।
21. आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के मध्य समझौता होने की स्थिति में निर्धारित समयान्तराल से कम अंतराल पर भी परमिट आवेदन स्वीकृत किया जा सकेगा। शपथ पत्र के रूप में समझौता आवेदन समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।
22. परमिट से आच्छादित वाहन का नया परमिट आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। पूर्व का परमिट प्रत्यर्पित करने के उपरान्त ही उस वाहन हेतु नया परमिट आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
23. नये आवेदनकर्ता को पूर्व के परमिटधारी के समय-सारणी से पीछे का समय प्रदत्त किया जायेगा। कोई भी वाहन अपने पूर्ववर्ती वाहन को ओवरटेक नहीं करेंगे।
24. मार्ग संख्या समान रहने पर ही आपत्ति स्वीकार किया जायेगा।
25. बैटक के क्रम में उपरोक्त शर्तों में बदलाव अथवा उनके अलावे कोई अन्य शर्त लागू करने अथवा शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकार के पास होगा और प्राधिकार का निर्णय ही सर्वोपरि व मान्य होगा।
26. पूर्व से प्राप्त परमिट के समय-सारणी में संशोधन हेतु शुल्क पूर्व की भांति ही प्रति पड़ाव के दर से देय होगा।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष के आदेशानुसार



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

झापांक -01-01/2025/परि0.....88....., दिनांक ...06/03...../2026

प्रतिलिपि -श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।